जनता का स्वास्थ्य जनता के हाथ

ग्राम स्वास्थ्य समिति

बैठक – बही

ग्राम : ....

पंचायत : ....

प्रखण्ड : ....

जिला : ....

राष्ट्र ग्रामीण स्वरोजगार के ग्राम स्वास्थ्य समिति की दीर्घकालीन गतिविधियां

- स्वास्थ्य समिति समुदाय के सम्पूर्ण स्वास्थ्य की देखभाल के लिए जिम्मवार होगी।
- स्वास्थ्य समिति समुदाय की स्वास्थ्य आवश्यकताओं और स्थिति का आकलन सहभागी आधार पर करेगी। समिति के सभी सदस्य ए.एन.एम. और आंगनबाड़ी कार्यकत्ताओं को स्वास्थ्य संबंधी आंकड़ा, स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने, एवं सर्वेक्षण आदि में सहयोग करेंगे।
- उपरोक्त आकलन के आधार पर ग्राम स्वास्थ्य समिति अपने–अपने गांव/टोले के लिए किस स्वास्थ्य सेवा को प्राथमिकता देना उन सबके संबंध में ए.एन.एम. और आंगनबाड़ी कार्यकर्त्ता से बातचीत कर विस्तृत ग्राम स्वास्थ्य योजना बनायेगी।
- ग्राम स्वास्थ्य समिति स्वास्थ्य संबंधी सारी बातों में जागृतिल लायेगी और सूचनाओं के प्रचार–प्रसार से मांग बढ़ायेगी। साथ ही सरकार द्वारा स्थापित उपलब्ध स्वास्थ्य केंद्रों तक समुदाय के लोग सेवा प्राप्त करने जाए यह सुनिश्चित कराना।
- राज्य तथा राष्ट्रीय कार्यक्रम–प्रजनन तथा शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम, क्षय रोग (टी.बी.) अंधापन नियंत्रण, मलेरिया, कुष्ठ तथा एड्स नियंत्रण कार्यक्रम आदि की जानकारी समुदाय को देना तथा इस कार्यक्रम को सफलतापूर्वक चलाने के लिए समन्वयन एवं निगरानी रखना।
- स्वास्थ्य केन्द्रों द्वारा उपलब्ध कराये जा रहे सेवाओं की गुणवत्ता एवं उसके दूरगामी सुपरिणाम पर निगरानी रखना।
- स्वास्थ्य कोष इसमें दो प्रकार के कोष परिवार कोष एवं ग्राम स्वास्थ्य समिति कोष होगा इनका प्रबंधन कैसे किया जाए। इसके लिए सर्वसम्मति से निर्णय लिया जाएगा। कोष में सदस्यता शुल्क, स्वास्थ्य शिविर आयोजित कर उसमें पंजीकरण शुल्क एवं दान आदि से जमा किया जा सकता है।
- इस कोष का कैसे उपयोग करेंगे ये ग्राम स्वास्थ्य समिति निर्णय लेगी। जैसे समुदाय के किसी व्यक्ति के गंभीर रूप से बीमार पड़ने या किसी भी आपातकाल में रोगी को प्रखण्ड/प्रथम रेफरल/जिला अस्पताल/ मेडिकल कॉलेज/ निजी अस्पताल तक आने–जाने में होने वाले खर्च का प्रबन्ध कैसे किया जायेगा।
- कठिन क्षेत्रों–भौगोलिक, बिखरी जनसंख्या, पहाड़ी क्षेत्र आदि जहां पर स्वास्थ्य सेवाएं मिलने में बहुत कठिनाई है या पहुंच ही नहीं पाती है वहां के लिए चलन्त चिकित्सा ईकाई, स्वास्थ्य आउटपोस्ट या वहां के समुदाय से ही स्वास्थ्य समिति द्वारा मनोनीत महिला को प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के लिए कौशल (Skill) प्रशिक्षण सरकार द्वारा दिलाने की दिशा में पहल करें।
- ग्राम स्वास्थ्य समिति का उत्तरदायित्व है कि जहां तक सम्भव हो ग्राम सभा में सहिया के रूप में उपयुक्त महिला का चुनाव हो।

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अर्न्तगत
ग्राम स्वास्थ समिति की :

अन्य अनुशंसित गतिविधियाँ–

- सार्वजनिक कुओं, तालाबों, हैंडपम्प (चापाकलों) इत्यादि का निर्माण, मरम्मत तथा रखरखाव।
- घर गांव का कूड़ा–कचड़ा इकट्ठा करने के लिए गांव के किनारे स्थान का चयन करना एवं लोगों को उसका उपयोग करने के लिए प्रेरित करना जरूरत पड़ने पर उदाहरण भी प्रस्तुत करना।
- महिलाओं के सशक्तिकरण, लिंग भेद समाप्त करने एवं महिला उत्पीड़न, किशोरियों के मुद्दों के प्रति संवेदनशीलता लाना उन पर सकारात्मक रूप से सोचना एवं कार्य करना।
- समुदाय के कुपोषित बच्चों को पौष्टिक भोजन या पैकेट के वितरण के संबंध में सोच सकते हैं।
- गर्भवती महिलाओं के पंजीयन, तीन आवश्यक जांच, टिटनेस के दो टीके तथा आयरन की सौ गोलियां महिलाएं जरूर ले इसको सहिया के माध्यम से सुनिश्चित करने के साथ ही सुरक्षित प्रसव व मातृत्व के लिए प्रयास करना।
- स्वास्थ्य समिति के क्षेत्र में आने वाले स्वास्थ्य उपकेंद्रों औषधालयों की देखभाल कर ए.एन.एम. /डॉक्टरों से समन्वयन रखना।
- ग्रामीणों के स्वस्थ रहने के लिए रोग–निरोधी उपाय करना।
- ए.एन.एम. एवं डॉक्टर गांव में सेवाएं दें इसको सुनिश्चित करना।
- नवीनतम तकनीक एवं विधि जो ग्रामीणों के व्यवहार और संस्कृति से मेल खाती हो उसको बढ़ावा देना।
- सामाजिक कुरीतियों के विरोध में जनमत तैयार करने, जागृति लाने के लिए नाटक/नुक्कड़ नाटक और व्यक्तिगत संवाद के लिए आगे आना।
- गांव, टोला एवं प्रत्येक घर में पोषण वाटिका लगाना जिसमें ऐसे पौधे जिनसे पौष्टिक खाद्य पदार्थ मिलते हैं को बढ़ावा देना।

ग्राम स्वास्थ्य समिति के कर्त्तव्य क्या है?

ग्राम स्वास्थ्य समिति एक समुदाय आधारित उच्च संस्था है। इसके प्रमुख कर्त्तव्य है :–

a) सहिया का चयन तथा उसके कार्यों के सही सम्पादन के लिए सहयोग एवं पर्यवेक्षण।

b) समुदाय की स्वास्थ्य जरूरतों की पहचान तथा उन विषयों पर जागरूकता पैदा करना।

c) स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने वाले सरकारी एवं गैर सरकारी व्यक्ति, सहिया, समुदाय के सदस्य तथा अन्य पक्षों के बीच स्वास्थ की जरूरतों और सेवाओं का सामंजस्य स्थापित करना।

d) ए.एन.एम., आंगनबाड़ी कार्यकर्त्ता, सहिया तथा प्रशिक्षित दाई के साथ मिलकर ग्राम स्वास्थ्य योजना को तैयार करना तथा इस योजना का नियत समय पर कार्यान्वयन सुनिश्चित करना।

e) लोगों के जीवन स्तर में सुधार के लिए स्वास्थ्य कर्मियों पर दबाव बनाना तथा सतर्क नजर रखना।

f) ग्राम स्वास्थ्य कोष तथा परिवार स्वास्थ्य कोष बनाना तथा संचालन करना।

गाँधी जी का जन्तर

तुम्हें एक जन्तर देता हूँ। जब भी तुम्हें संदेह हो या तुम्हारा अहम् तुम पर हावी होने लगे तो यह कसौटी आजमाओ :

जो सबसे गरीब और कमजोर आदमी तुमने देखा हो उसकी शक्ल याद करो और अपने दिल से पूछो कि जो कदम उठाने का तुम विचार कर रहे हो, वह उस आदमी के लिए कितना उपयोगी होगा। क्या उससे उसे कुछ लाभ पहुँचेगा? क्या उससे वह अपने ही जीवन और भाग्य पर कुछ काबू रख सकेगा? यानि क्या उससे उन करोड़ों लोगों को स्वाराज्य मिल सकेगा जिनके पेट भूखे हैं और आत्मा अतृप्त है?

तब तुम देखोगे कि तुम्हारा संदेह मिट रहा है और अहम् समाप्त होता जा रहा है।

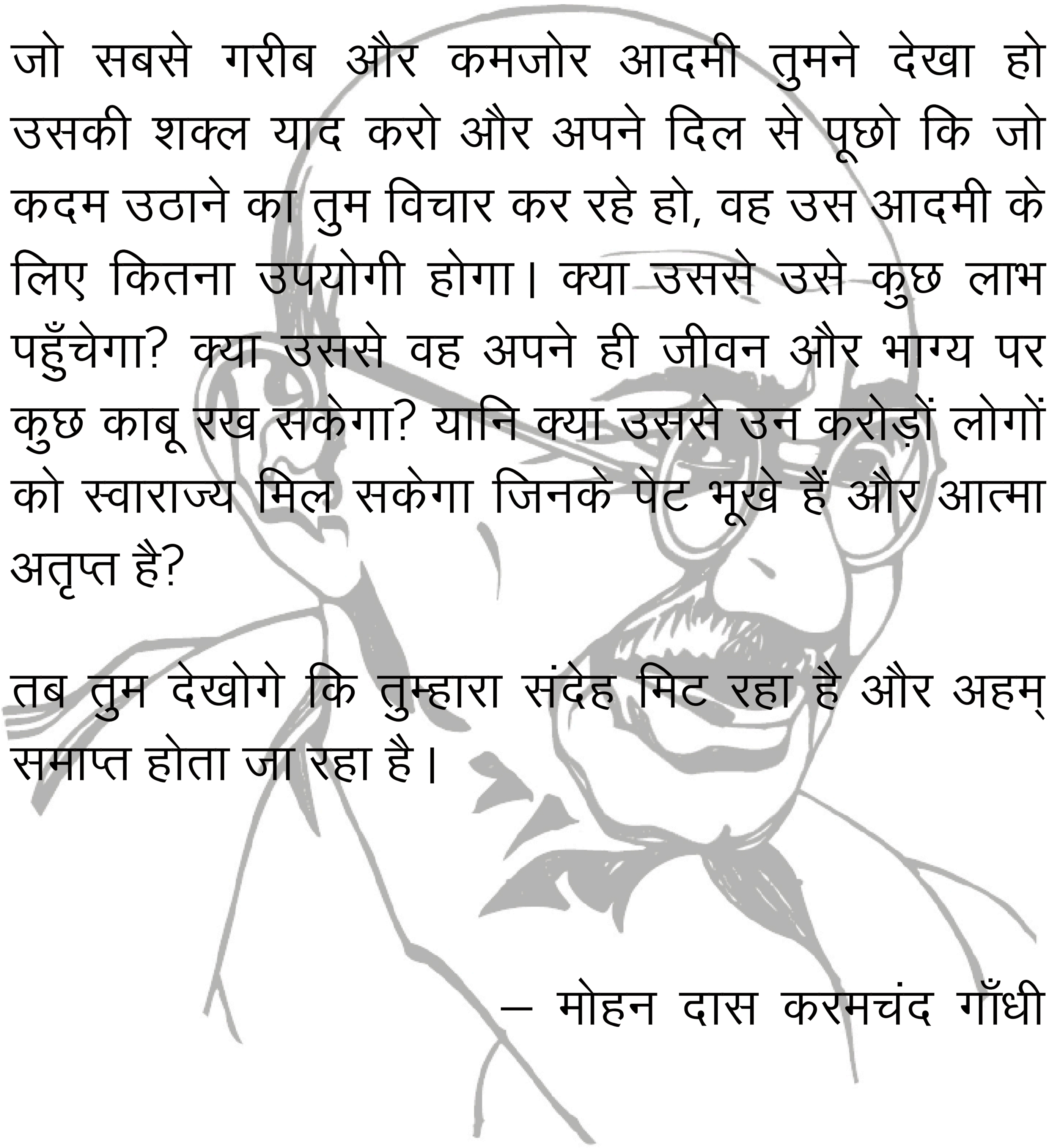

— मोहन दास करमचंद गाँधी

सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं ।
मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए ।।